अध्याय - 2

निधियों का प्रबन्धन

अध्याय-2: निधियों का प्रबंधन

2.1 निधिकरण व्यवस्था

विश्व बैंक (वि बैं) और एशियन विकास बैंक (ए वि बैं) और राज्य सरकार के सहयोग से गठित संयुक्त त्वरित क्षति और आवश्यकता आंकलन दल (सं त्व क्ष और आ आ) द्वारा किए गए आंकलन के आधार पर राज्य सरकार ने ₹ 9,296.21 करोड़ के पुनर्निर्माण पैकेज का प्रस्ताव प्रस्तुत (सितंबर 2013) किया जिसे भा स द्वारा ₹ 7,346.89 करोड़ हेतु स्वीकृत (जनवरी 2014) किया गया। पैकेज के अधीन मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) के लिए ₹ 6,259.84 करोड़ शामिल थे, जिन्हें राज्य को 2013-14 से 2015-16 के दौरान उपलब्ध कराया जाना था तथा अवशेष सहायता तत्काल राहत और बचाव अभियान के लिए थी।

म और दी पु के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र जोकि लेखा परीक्षा[5] में शामिल किए गए हेतु राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी एवं भा स द्वारा अनुमोदित धनराशि का विवरण **चार्ट-2.1** में दिया गया है:

चार्ट-2.1: म और दी पु के लिए मांग व अनुमोदित धनराशि का विवरण

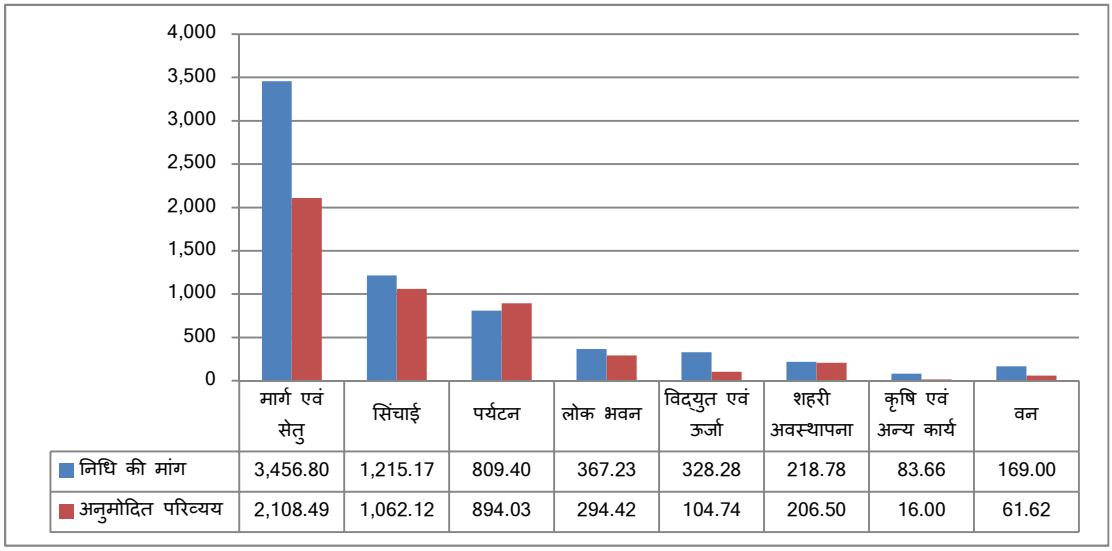

	मार्ग एवं सेतु	सिंचाई	पर्यटन	लोक भवन	विद्युत एवं ऊर्जा	शहरी अवस्थापना	कृषि एवं अन्य कार्य	वन
निधि की मांग	3,456.80	1,215.17	809.40	367.23	328.28	218.78	83.66	169.00
अनुमोदित परिव्यय	2,108.49	1,062.12	894.03	294.42	104.74	206.50	16.00	61.62

म और दी पु पैकेज को भा स, ए वि बैं, विश्व बैंक और उ स द्वारा पाँच अलग-अलग स्रोतों यथा- विशेष आयोजनागत सहायता (वि आ स-पुनर्निर्माण), केन्द्र पोषित योजनायें (के पो यो - पु), केंद्रीय योजना, वाह्य सहायतित परियोजनायें (वा स प), और राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि (राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि) के अंतर्गत वित्तपोषित किया गया जैसा कि निधि प्रवाह व्यवस्था नीचे **चार्ट-2.2** में दर्शित है:

---

[5] म और दी पु पैकेज में 17 सेक्टर **अर्थात् मार्ग एवं सेतु, पर्यटन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, कृषि, आवास, वन, जलागम प्रबंध, जल आपूर्ति और शहरी अवस्थापना,** महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण और पशुपालन शामिल हैं। अध्याय-1 में वर्णित पद्धति के अनुसार इनमें से प्रथम 10 क्षेत्रों को लेखापरीक्षा में शामिल किए गए।

चार्ट-2.2: निधि प्रवाह व्यवस्था

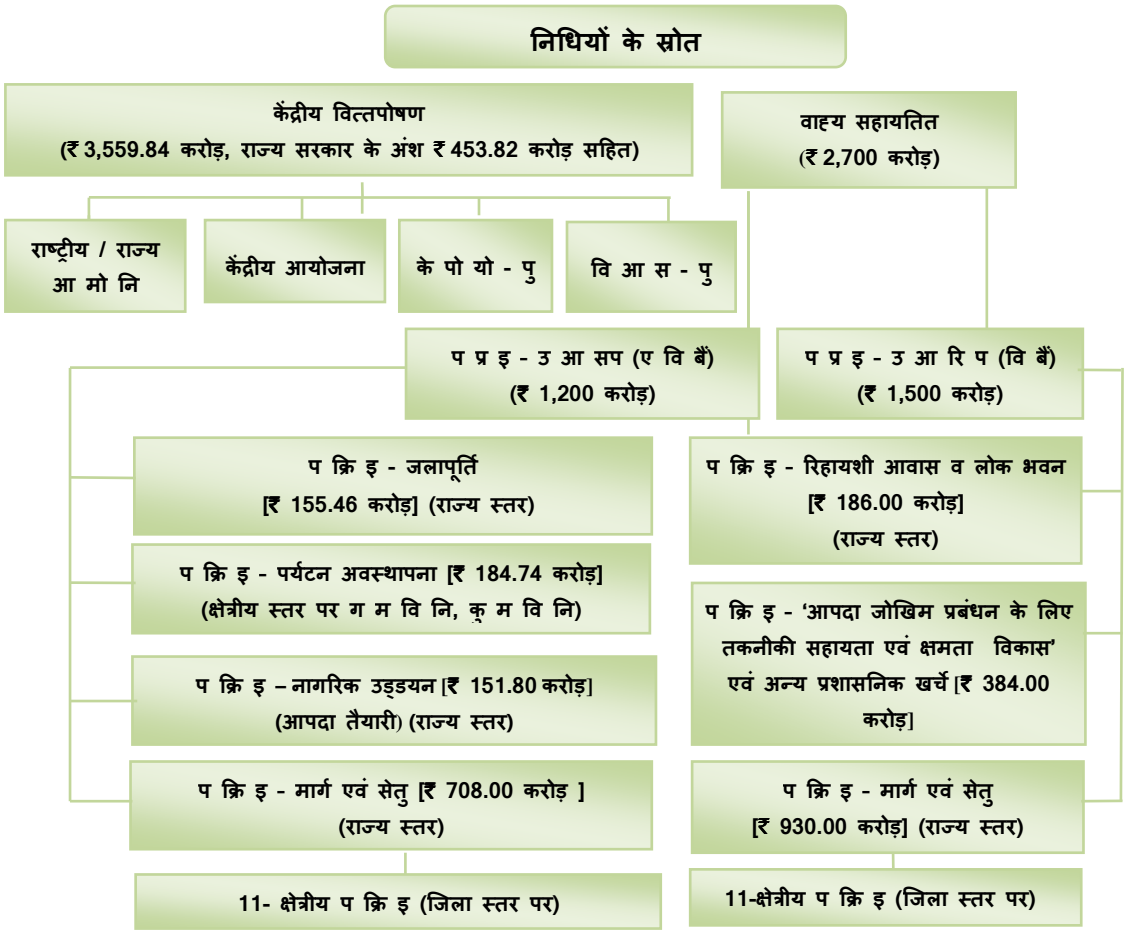

अनुमोदित परिव्यय का उपयोग 2013-14 से 2016-17 के दौरान नीचे **चार्ट-2.3** में दिये गये वर्षवार विवरण के अनुसार किया जाना था:

चार्ट-2.3: वित्तपोषण के स्रोत आधारित म और दी पु पैकेज

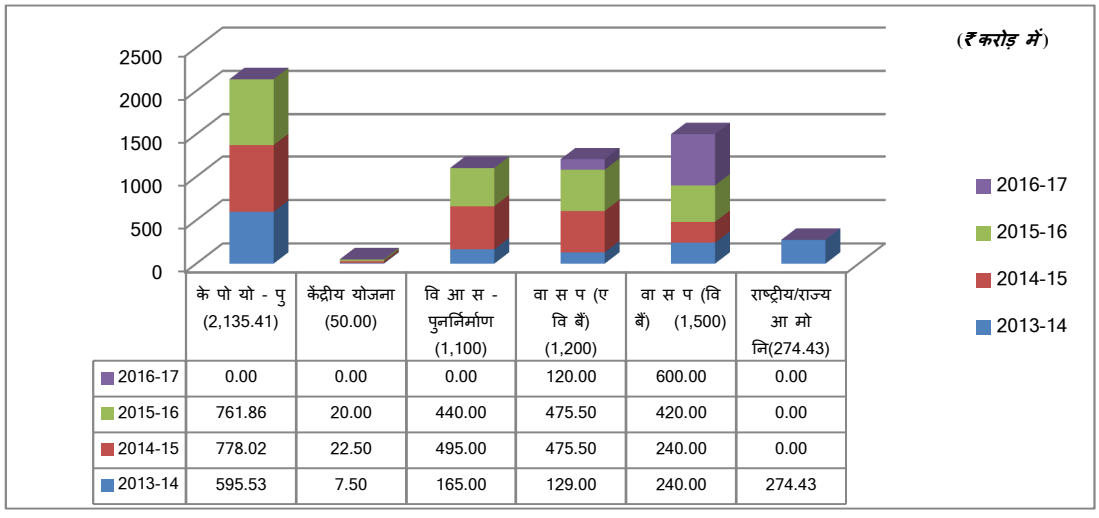

	के पो यो - पु (2,135.41)	केंद्रीय योजना (50.00)	वि आ स - पुनर्निर्माण (1,100)	वा स प (ए वि बैं) (1,200)	वा स प (वि बैं) (1,500)	राष्ट्रीय/राज्य आ मो नि(274.43)
2016-17	0.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00
2015-16	761.86	20.00	440.00	475.50	420.00	0.00
2014-15	778.02	22.50	495.00	475.50	240.00	0.00
2013-14	595.53	7.50	165.00	129.00	240.00	274.43

2.1.1 राज्य योजना के लिए विशेष आयोजनागत सहायता

सर्वाधिक प्रभावित पाँच जिलों (बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी) में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भा स द्वारा ₹ 1,100 करोड़ की विशेष आयोजनागत सहायता (वि आ स-पुनर्निर्माण) को 100 *प्रतिशत* अनुदान के रूप में अनुमोदित किया गया था। क्षेत्रवार आवंटन को नीचे **चार्ट-2.4** में दिखाया गया है:

चार्ट 2.4: वि आ स - पु के घटक (*₹ करोड़ में*)

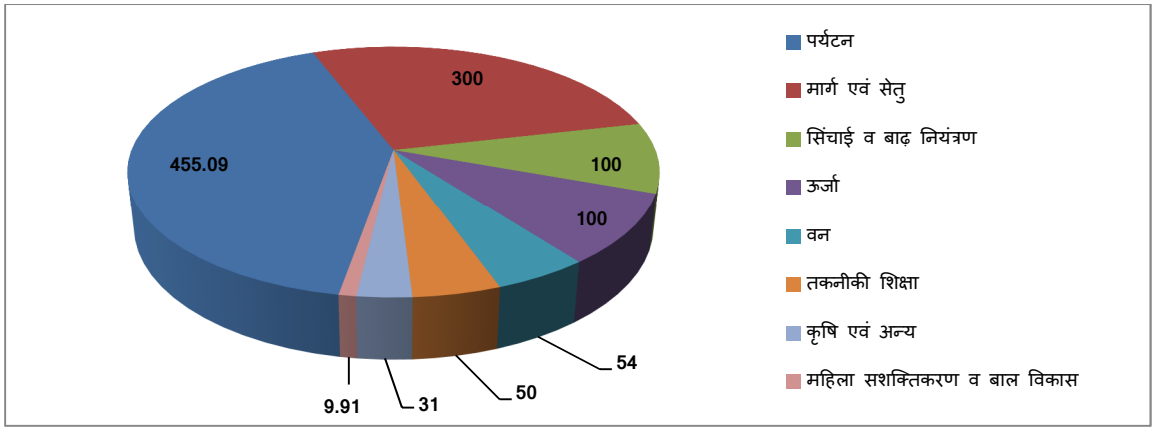

2.1.2 केन्द्र पोषित योजनाओं (के पो यो) के अन्तर्गत सहायता

भा स (₹ 1,884.92 करोड़[6]) और उ स (₹ 250.49 करोड़) के बीच आनुपातिक[7] आधार पर 22 के पो यो के लिए ₹ 2,135.41 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया। अनुमोदित धनराशियों को भा स द्वारा संबन्धित मंत्रालयों / विभागों के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान समग्र बजटीय आवंटन के अंतर्गत आवंटित कर उ स को स्थानांतरित किया जाना था।

2.1.3 केंद्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत सहायता

भा स के पैकेज में यह प्रावधानित किया गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (वि और प्रौ वि) 2014-15 और 2015-16 की केंद्रीय योजना के अंतर्गत देहरादून में "पर्यावरण अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र" की स्थापना के लिए ₹ 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करेगा। इस केंद्र का उद्देश्य राज्य के विभिन्न पर्यावरणीय मानकों का समग्र अध्ययन और विकास के पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ संरचना पर राज्य सरकार को सलाह देना था।

2.1.4 वाह्य सहायतित परियोजनायें

म और दी पु के अंतर्गत दो वाह्य सहायतित परियोजनाओं (वा स प) को अनुमोदित किया गया:

---

[6] 22 के पो यो का आनुपातिक आधार (भा स और उ स): सात के पो यो (₹ 152.53 करोड़) के लिए 100 *प्रतिशत* भा स अंश, अन्य सात के पो यो (₹ 1,553.61 करोड़) के लिए 90:10, एक के पो यो (₹ 326.19 करोड़) के लिए 80:20, पाँच के पो यो (₹ 58.08 करोड़) के लिए 75:25, एक के पो यो (₹ 7.62 करोड़) के लिए 70:30, और एक के पो यो (₹ 37.38 करोड़) के लिए 65:35।

[7] भा स द्वारा एक के पो यो (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम / बाढ़ नियंत्रण) का आनुपातिक वित्तपोषण बाद में (जून 2014) परिवर्तित कर 90:10 से 70:30 कर दिया गया जैसा कि पैरा-2.2.1 में वर्णित है। तदनुसार, कुल 22 के पो यो के लिए भा स और राज्य सरकार का अनुपात परिवर्तित हो कर क्रमशः ₹ 1,709.03 करोड़ और ₹ 426.38 करोड़ हो गया।

(i) उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) को एशियन विकास बैंक (ए वि बैं) द्वारा परियोजना संख्या-47229 और ऋण अनुबंध संख्या-3055 (फरवरी 2014) के माध्यम से 200 मिलियन यू एस $ (₹ 1,200 करोड़) धनराशि हेतु वित्तपोषित किया गया।

(ii) उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) को विश्व बैंक द्वारा परियोजना संख्या-146653 और क्रेडिट अनुबंध संख्या-5313-आईएन (जनवरी 2014) के माध्यम से 250 मिलियन यू एस $ (₹ 1,500 करोड़) की धनराशि हेतु वित्तपोषित किया गया।

इन दो वा स प के क्षेत्र/घटकवार विवरण नीचे **चार्ट-2.5 (अ और ब)** में दिए गए हैं:

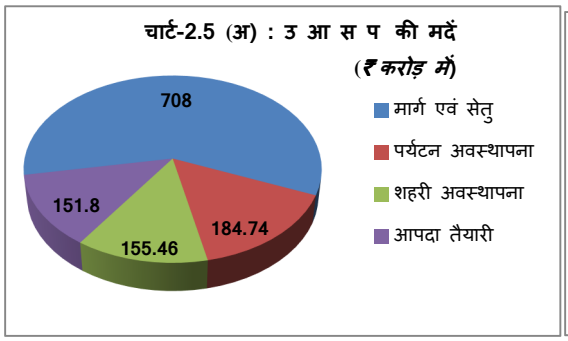

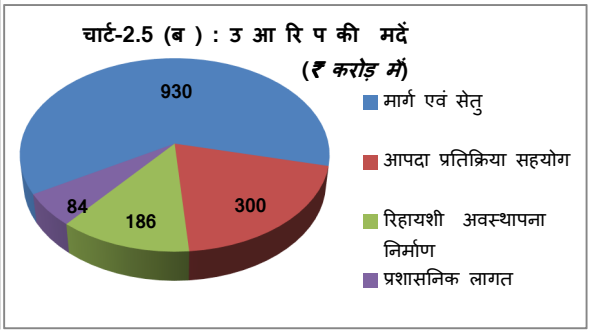

इन दोनों वा स प का राज्य स्तर पर प्रबंधन, समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाईयों (प प्र इ) द्वारा किया गया और परियोजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्रवार समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (प क्रि इ) के माध्यम से किया गया। इन वा स प के क्रियान्वयन के लिए धनराशि प्रारम्भ में उ स द्वारा प्रदान की जाती है जिसे बाद में वास्तविक व्यय के सापेक्ष ए वि बैं/विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है।

2.1.5 वित्त की समग्र स्थिति

म और दी पु पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत समग्र धनराशि और राज्य को प्राप्त धनराशि की वास्तविक वित्तीय स्थिति नीचे **तालिका-2.1** और **चार्ट-2.6** में दिए गए विवरणों के अनुसार थी:

तालिका-2.1: समग्र वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2018 तक) ***(₹ करोड़ में)***

निधि के श्रोत	अनुमोदित परिव्यय			अवमुक्त निधियां			व्यय
	केंद्रान्श	राज्यान्श	कुल	केंद्रान्श	राज्यान्श	कुल	
विशेष आयोजनागत सहायता	1,100.00	0	1,100.00	1,099.30	-	1,099.30	688.35
कें पो यो के अंतर्गत सहायता	1,709.03	426.38	2,135.41	215.89	567.19	783.08	718.10
केन्द्रीय योजना सहायता	50.00	0	50.00	0	-	0	0.00
राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि (90:10)	246.99	27.44	274.43	246.99	27.44	274.43	अनुपलब्ध
बाह्य सहायतित परियोजना							
ए वि बैं पोषित उ आ स प (200 मिलियन यू एस $)[8]			1,200.00	-	-	1,141.43[9]	1,125.38
विश्व बैंक पोषित उ आ रि प (250 मिलियन यू एस $)			1,500.00	-	-	1,319.03[10]	1,176.44
कुल			***6,259.84***			***4,617.27***	***3,708.27***[11]

स्रोत: उ स के संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ।

[8] ऋण राशि बाद संशोधित कर 185 मिलियन यू एस $ किया गया (मई 2017)।

[9] उ स द्वारा उ आ स प को जारी किए गए धन की स्थिति; हालांकि, 31.03.2018 तक ए वि बैं द्वारा उ स को वास्तविक प्रतिपूरित धनराशि ₹ 1,013.20 करोड़ थी।

[10] उ स द्वारा उ आ रि प को जारी किए गए धन की स्थिति; हालांकि, 31.03.2018 तक विश्व बैंक द्वारा उ स को वास्तविक प्रतिपूरित धनराशि ₹ 1,164.54 करोड़ थी।

[11] राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के सिवाय क्योंकि इन निधियों का प्रबंधन संबंधित जिला अधिकारियों के पास होने के कारण समेकित रूप से राज्य की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

चार्ट-2.6: विभिन्न स्रोतों के तहत अनुमोदित और अवमुक्त धनराशियों का विवरण

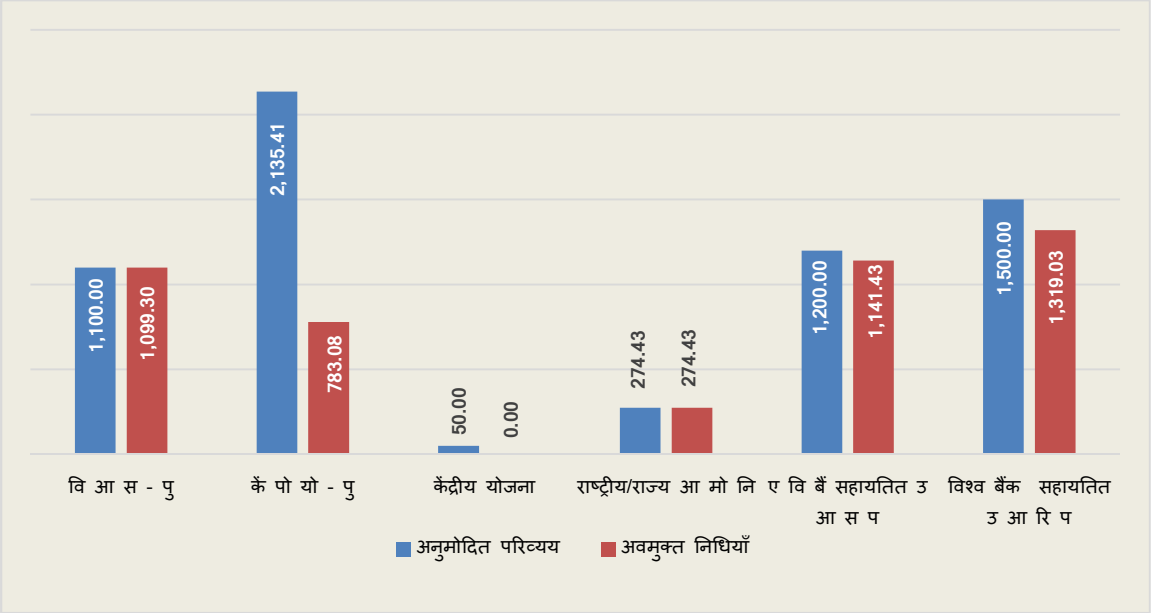

म और दी पु निधियों की क्षेत्रवार समग्र स्थिति ***परिशिष्ट-2.1*** में दी गई है।

2.1.6 परियोजना क्रियान्वयन अवधि

वि आ स - पु और के पो यो - पु के अंतर्गत आवंटित धनराशियों को मार्च 2016 तक उ स के संबंधित विभागों / एजेंसियों द्वारा उपलब्ध / उपयोग करने के लिए लक्षित किया गया था, किन्तु राज्य में कार्य निष्पादन की विषम परिस्थितियों पर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए भा स द्वारा 31 मार्च 2017 तक के लिए एक अतिरिक्त वर्ष की अनुमति प्रदान (अक्टूबर 2016) की गयी थी।

उ स और ए वि बैं / विश्व बैंक के मध्य निष्पादित ऋण अनुबंध के अनुसार उ आ स प और उ आ रि प की निर्धारित समाप्ति अवधि क्रमशः मार्च 2017 और दिसंबर 2017 थी।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

वित्त प्रबंधन एवं धन आवंटनों की लेखापरीक्षा में निम्न कमियाँ पायी गयी:

2.2.1 के पो यो - पु निधियों का कम आवंटन / उपयोग

22 के पो यो - पु के क्रियान्वयन के विभिन्न नोडल अभिकरण / विभागों से प्राप्त सूचना से उद्घटित हुआ कि भा स द्वारा सहमत केंद्रान्श ₹ 1,709.03 करोड़ के सापेक्ष राज्य को मात्र ₹ 215.89 करोड़ (13 *प्रतिशत*) ही प्राप्त हुआ। जारी की गयी धनराशियों का विवरण निम्नवत है:

- 11 के पो यो के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹ 647.17 करोड़ (***परिशिष्ट-2.2***) के सापेक्ष कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- 09 के पो यो हेतु भा स से ₹ 845.97 करोड़ कम आवंटित हुए, जिसमें ₹ 1,050.48 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष मात्र ₹ 204.51 करोड़ (***परिशिष्ट - 2.3***) प्राप्त हुए थे।

- मात्र दो के पो यो 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' एवं 'मध्यान्ह भोजन' में क्रमश: ₹ 10.86 करोड़ एवं ₹ 0.52 करोड़ भा स से पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ था।

भा स द्वारा निधियों को कम निर्गत करने / निर्गत न करने के कारणों को जानने के लिए दोनों श्रेणियों (के पो यो जिनके सापेक्ष कोई धन प्राप्त नहीं हुआ तथा के पो यो जिनके सापेक्ष धन कम आवंटित किया गया), के तीन-तीन के पो यो की विस्तार से जाँच की गई। इन चयनित छः के पो यो में भा स द्वारा कुल कम निर्गत / शून्य निर्गत (₹ 1,493.14 करोड़) प्रतिबद्ध निधियों का 86 *प्रतिशत* शामिल है। योजनावार जाँच के परिणाम नीचे सारणीबद्ध हैं:

तालिका-2.2: के पो यो-पु निधियों के शून्य / कम निर्गत पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

के पो यो के नाम		स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)		लेखापरीक्षा निष्कर्ष
अ- के पो यो जहाँ स्वीकृत निधियाँ निर्गत नहीं की गयी				
1	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन- जे एन एन यू आर एम (80:20)	260.95		31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले संक्रमणकालीन चरण के साथ जे एन एन यू आर एम दिसंबर 2005 में सात वर्षो के लिए प्रारम्भ किया गया था। भा स द्वारा 23 जनवरी 2014 को म और दी पु पैकेज की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बाद शहरी विकास निदेशालय, उ स द्वारा ₹ 269.49 करोड़ लागत की 14 परियोजनाओं का प्रस्ताव भा स को प्रस्तुत (फरवरी 2014) किया गया। यद्यपि, सामान्य निर्वाचन की आचार संहिता लागू / प्रचलन में होने के कारण मिशन अवधि (31 मार्च 2014) के भीतर इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा (90:10)	225.00		म और दी पु पैकेज के अंतर्गत, 2013-14 के दौरान उत्तराखण्ड में लाभार्थियों को योजना के मौजूदा मानदंड प्रति वर्ष 100 दिनों की रोजगार गारंटी के सापेक्ष 150 दिनों की रोजगार गारंटी के लिए ₹ 250 करोड़ (90:10) का अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित किया गया था। जाब कार्ड धारकों द्वारा रोजगार की कम मांग के कारण राज्य 2013-14 के लिए मनरेगा के नियमित बजट का भी उपयोग (₹ 403.09 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष व्यय ₹ 383.94 करोड़ था) नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, भा स द्वारा राज्य को कोई अतिरिक्त प्रतिबद्ध धनराशि (₹ 225 करोड़) जारी किया जाना आवश्यक नहीं था।
3	राजीव आवास योजना -रा आ यो (90:10)	65.25		रा आ यो के लिए नोडल विभाग, शहरी विकास निदेशालय द्वारा के पो यो के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
ब- के पो यो जहाँ स्वीकृत धनराशि कम निर्गत हुई				
		स्वीकृत धनराशि	**निर्गत धनराशि**	
1	त्वरित सिचाई लाभान्वित कार्यक्रम/बाढ़ नियंत्रण (70:30)	615.65	79.52	हालांकि, स्वीकृत धनराशि जारी करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया, किन्तु भा स द्वारा योजना के अन्तर्गत धनराशि निर्गत नहीं किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी दो किश्तों (₹ 79.52 करोड़) के

				सापेक्ष व्यय का लेखापरीक्षित विवरण भा स को प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अवशेष धनराशि प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त थी।
2	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (90:10)	111.06	2.54	भा स द्वारा अनुमोदित केंद्रान्श ₹ 111.06 करोड़ के सापेक्ष, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2014-15 में ₹ 2.54 करोड़ के चार कार्यों का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिला / ब्लाक स्तर के अधिकारियों से बाद के वर्षों में कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया था। अतः आगे कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह प्रस्तावित धनराशि भा स द्वारा पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई गयी थी।
3	गंतव्य एवं परिकल्प के लिए उत्पाद अवस्थापना विकास (100:0)	102.40	14.51	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प) भा स को ₹ 72.55 करोड़ की लागत की कुल 11 परियोजनाएं (116 कार्य) ही प्रस्तुत कर सका। भा स से ₹ 14.51 करोड़ की पहली किश्त (20 *प्रतिशत*) 2014-15 में प्राप्त हुई। केन्द्र के करों एवं शुल्कों का 42 *प्रतिशत* राज्य को हस्तांतरित किए जाने के अनुसरण में 14वें वित्त आयोग की संस्तुति पर भा स द्वारा इस योजना को 2015-16 से विच्छेदित (डीलिंक्ड) कर दिया गया। यद्यपि, उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्यों की गतिमान परियोजनाओं की लंबित देयता के एकल समय निपटारे (एस नि) के लिए प्रावधान था। भा स द्वारा उ स को प्रत्येक परियोजना के पूर्ण होने का चरण और पूर्ण होने की संभावित तिथि व परियोजनाएँ जिसमें 50 *प्रतिशत* से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके है उनकी लंबित देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया (13 जनवरी 2016)। यद्यपि, उ प वि प द्वारा अपेक्षित सूचना / जानकारी उसी महीने (जनवरी 2016) में भेजी गई थी फिर भी अभी तक एस नि का प्रस्ताव भा स के पास लंबित है और कार्य तब से बाधित थे।

2.2.2 राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम आवंटन

उ स द्वारा पाँच परियोजनाओं, केदारनाथ टाउनशिप (₹ 200 करोड़); अन्य धामों (यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और कैलाश मानसरोवर) का विकास (₹ 100 करोड़); परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण (₹ 100 करोड़); भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तकनीकी सहायता से केदारनाथ धाम और आस-पास के अन्य मंदिरों जैसे शंकराचार्य समाधि, भैरोंनाथ मंदिर आदि का पुनरोद्धार (₹ 50 करोड़); और दूरस्थ पहाड़ी जिलों में कुछ रणनीतिक स्थानों पर आश्रय-सह-गोदामों का निर्माण (₹ 75 करोड़), के पुनर्निर्माण / पुनरोद्धार कार्यों को प्रस्तावित किया था। ₹ 525 करोड़ की कुल मांग के सापेक्ष, भा स द्वारा वि आ स-पु के अंतर्गत ₹ 455.09 करोड़ (चार परियोजनाएं के लिए ₹ 380.09 करोड़ और आश्रय-सह-गोदामों के लिए ₹ 75 करोड़) के परिव्यय को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि शेष राशि ₹ 69.91 करोड़ का अंशदान राज्य अपने संसाधनों से करेगा।

भा स द्वारा परियोजनाओं हेतु वि आ स-पु के अधीन स्वीकृत पूर्ण धनराशि ₹ 455.09 करोड़ राज्य सरकार को 2016-17 तक जारी की गई थी। यद्यपि, उ स द्वारा ₹ 69.91 करोड़ का अंशदान नहीं दिया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 380.09 करोड़ में से ₹ 272.17 करोड़ की लागत की 19 परियोजनाओं के लिए

स्वीकृति जारी की गयी किन्तु 'अन्य धाम के विकास', 'गौरीकुंड एवं केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण' और श्री केदारनाथ टाउनशिप के पुनर्निर्माण कार्यों (चरण-2) के लिए ₹ 31.37 करोड़ की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई थी। शेष धनराशि ₹ 107.92 करोड़ (₹ 380.09 करोड़- ₹ 272.17 करोड़) उ स के पास की लंबित पड़ी हुयी है।

उ स द्वारा आश्रय-सह-गोदामों के लिए भी कोई धनराशि जारी नहीं की और इसके स्थान पर श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अन्य आधारभूत कार्यों के लिए ₹ 74.85 करोड़ के 10 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की थी। इसके परिणामस्वरूप, **म और दी पु** पैकेज के अंतर्गत भा स द्वारा स्वीकृत विशिष्ट पर्यटक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण नहीं हो सका।

इसी प्रकार, उ स द्वारा वि आ स-पु के अंतर्गत 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (औ प्र सं) भवनों के सुदृढीकरण के लिए ₹ 13.38 करोड़ की प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई थी जबकि भा स द्वारा संपूर्ण निधि (₹ 50 करोड़) आवंटित की गयी थी (*संदर्भ प्रस्तर-3.6.1.1*)।

इस प्रकार उ स द्वारा ₹ 121.30 करोड़ की निधि का कम आवंटन किए जाने के कारण राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का निर्माण नहीं हुआ।

2.2.3 अनुमोदित परिव्यय का उपभोग न होना

निम्न उल्लेखित प्रकरणों में कार्य अनुमोदन हेतु व्यवहार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण राज्य मशीनरी ₹ 246 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय का लाभ उठाने में विफल रही:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भा स, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत देहरादून में पर्यावरण अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए निर्धारित धनराशि ₹ 50 करोड़ को इसलिए अवमुक्त नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस केंद्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया था।
- पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण और विकास के लिए उ आ स प के अंतर्गत उ प्रा स द्वारा ₹ 184.74 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष ₹ 91.01 करोड़ की केवल नौ परियोजनाएं अनुमोदित की गयी। कार्यकारी विभाग उ स से स्वीकृति के लिए अन्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सके।
- राज्य की आपदा तैयारी में सुधार के लिए, राज्य के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अधिक हैलीपैड[12], हेलीपोर्ट्स[13], हेलीड्रोम[14] और बहुउद्देशीय हॉल सह आश्रयों[15] के निर्माण के लिए उ आ स प के अंतर्गत ₹ 151.80 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, ₹ 49.53 करोड़ की लागत की मात्र 32 परियोजनाओं को प्रस्तुत व अनुमोदित किया गया और शेष ₹ 102.27 करोड़ के परिव्यय का उपभोग नहीं हुआ।

---

[12] हेलीकॉप्टरों के उतरने एवं उड़ान का क्षेत्र।

[13] भवन एवं सुविधाओं सहित हेलीकॉप्टरों के लिए हवाई अड्डा या उतरने के लिए स्थान।

[14] हेलीकॉप्टरों के लिए एक छोटा हवाई अड्डा।

[15] प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को सार्वजनिक रूप से स्थानांतरित / निकाले जाने के लिए हैलीपैड के साथ जगह प्रदान करने के लिए।

2.2.4 स्वीकृत निधियों का व्ययावर्तन

राज्य मशीनरी द्वारा विभिन्न वित्तपोषित स्रोतों से संबन्धित ₹ 294.64 करोड़ की राशि जोकि म और दी पु के अंतर्गत निर्गत / आवंटित (₹ 4,617.27 करोड़) का 6.38 *प्रतिशत* है, को अनियमित रूप से निम्नलिखित अनियोजित कार्यों/विभागों को किया गया:

- तीन विभाग / प क्रि इ आवंटित ₹ 135.85 करोड़[16] का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि वे उ स को व्यवहार्य परियोजनाएं प्रस्तुत करने में असफल रहे थे। भा स के स्वीकृतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार इन बचतों को भा स को समर्पित किया जाना चाहिए था लेकिन राज्य सरकार ने इन्हे निम्नवत विभागों / कार्यों में व्यावर्तित कर दिया गया:

  अ) सिंचाई विभाग को अनुमोदित परिव्यय ₹ 100 करोड़ के अलावा जिला रुद्रप्रयाग के 12 बाढ़ सुरक्षा कार्यों (बा सु का) के लिए ₹ 79.19 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि अनुमोदित की गई।

  ब) गोविंदघाट में एक पुल के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) को ₹ 20.74 करोड़ की राशि (मई 2017) उपलब्ध कराई गई थी जोकि पहले राज्य क्षेत्र के तहत स्वीकृत (अप्रैल 2016) था।

  स) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) के नौ जल विद्युत परियोजना और उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) के वितरण नेटवर्क के पुनर्स्थापना/ पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ऊर्जा विभाग को ₹ 35.92 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी जबकि वि आ स - पु के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ पहले से ही अनुमोदित था।

- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फंसे स्थानीय जनसंख्या को स्थानांतरित करने और खाद्य आपूर्ति हेतु जगह प्रदान करने के लिए पहाड़ी जिलों में आश्रय / गोदामों के निर्माण के लिए वि आ स - पु के अंतर्गत स्वीकृत ₹ 75 करोड़ (*संदर्भ प्रस्तर-3.3.1*) में से ₹ 74.85 करोड़ का व्यावर्तन उ स द्वारा श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अन्य बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिए किया गया।

- लो नि वि द्वारा उत्तरकाशी जिले के तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (रा मा)[17] के लिए ₹ 3.37 करोड़ के वि आ स - पु निधि का उपयोग किया गया था जबकि यह निधि केवल राज्य राजमार्गों, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क, ग्राम सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए थी।

- लो नि वि द्वारा भा स के अनुमोदन के बिना ही वि आ स-पु निधि के ₹ 72.05 करोड़ की बचत का उपयोग 123 कार्यों (117 सड़कों और 6 पुलों) के लिए किया जोकि वि आ स - पु के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों की मूल सूची में सम्मिलित नहीं थे। (*संदर्भ प्रस्तर-3.2.1.1*)।

- वि आ स - पु और राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि कार्यों को क्रियान्यावन करने वाले लो नि वि के छ: मूल खण्डो में 10 कार्यों के भुगतान वाउचरों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि

---

[16] वि आ स-पु के अंतर्गत भा स से ₹ 0.70 करोड़ के कम आवंटन को समायोजित करने के बाद, वन: ₹ 19.04 करोड़, पशुपालन: ₹ 9.45 करोड़ और जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग: ₹ 108.06 करोड़ (संदर्भ तालिका-2.2: अनुमोदित परिव्यय ₹ 1,100 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,099.30 करोड़ जारी किया गया)।

[17] रा मा खंड (लो नि वि), बड़कोट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रा मा -94, 123 और 72 बी।

₹ 1.44 करोड़ की राशि या तो अन्य कार्यों में व्यावर्तित की गई अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई थी जो कि स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट नहीं थे। इसके अलावा यह भी पाया कि 13 स्वीकृतियों के सापेक्ष कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया और ₹ 2.44 करोड़ की सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष (लो नि वि) / संबन्धित जिलाधिकारियों को सूचना के बिना ही अन्य कार्यों में व्यावर्तित की गई या खण्डों में अव्ययित पड़ी थी। विवरण ***परिशिष्ट-2.4*** के अनुसार हैं।

- सिंचाई विभाग के चार मूल खण्डों द्वारा पाँच बा सु का में से ₹ 1.35 करोड़[18] की स्वीकृत निधि (वि आ स-पु और के पो यो-पु) को विभागाध्यक्ष को सूचित किए बिना ही कार्य के अन्य कार्यों / कार्य मदों के लिए व्ययावर्तित किया गया। उत्तर में, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग ने सूचित (मार्च 2018) किया कि इस प्रकरण में जाँच की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।
- वन विभाग में, वि आ स - पु के अंतर्गत 24 किमी लंबे घाघरिया से हनुमान चट्टी पैदल मार्ग के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत ₹ 1.99 करोड़ (दिसम्बर 2014) में से ₹ 0.32 करोड़ की बचत को भा स को समर्पित करने के बजाय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ही, नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान प्रभाग, जोशीमठ, जिला चमोली द्वारा इसे समानांतर पैदल मार्ग के लिए उपयोग किया गया।
- प क्रि इ-पर्यटन (ग म वि नि) ने ₹ 2.67 करोड़ की धनराशि को रसोई के उपकरण, क्रॉकरी / कटलरी और फर्नीचर की आपूर्ति के लिए इस तथ्य के बावजूद व्ययावर्तित किया गया कि यह उ आ स प सहायता, क्षतिग्रस्त पर्यटक विश्राम गृह की पुनरोद्धार और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए थी।
- प क्रि इ-नागरिक उड्डयन (उ आ स प) द्वारा सहस्त्रधारा, देहरादून, में निर्माणाधीन हैलीपैड के बाहरी दीवार के बाहर स्थित सड़क में कल्वर्ट के पुनर्निर्माण के लिए ₹ 30.35 लाख का व्यय किया गया था जोकि लो नि वि से संबंधित है।

2.2.5 अव्ययित अवशेष ₹ 30.62 करोड़ का अनधिकृत अवरोधन

वि आ स-पु हेतु भा स की स्वीकृतियों के प्रावधानो के अनुसार आवंटित धनराशियों का उपयोग उन्ही निर्दिष्ट प्रयोजन/कार्यों के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे दिया गया था अन्यथा धनराशि भा स को वापस की जानी थी। इसी प्रकार, हर वर्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (जि आ प्र प्रा) को उपलब्ध कराई गई रा आ मो नि का उपयोग एक वर्ष के भीतर किया जाना होता है और यदि कोई अव्ययित धनराशियाँ बचत होती है तो इसे रा आ मो नि के राजकोष को वापस किया जाएगा या बाद के वर्ष के अवमुक्त धनराशियों से समायोजित किया जाएगा।

[18] चमोली (दो कार्य; ₹ 36.52 लाख), धारचुला (एक कार्य; ₹ 15.87 लाख), थराली (एक कार्य; ₹ 15.37 लाख) और कपकोट (एक कार्य; ₹ 67.08 लाख)।

नीचे उल्लिखित मामलों में लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि उ स और नोडल अभिकरणों के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण स्वीकृत कार्यों के बचत / अव्ययित अवशेष ₹ 30.62 करोड़ परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण (प क्रि अ) / जि आ प्र प्रा के पास अवरुद्ध थी।

- बहुस्रोत से वित्तपोषण के कारण उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा निष्पादित कार्यों में ₹ 91.73 लाख की बचत हुई थी। (*संदर्भ प्रस्तर-3.5.1.1*) उरेडा द्वारा उक्त बचत का उपयोग अन्य कार्यों हेतु करने की अनुमति प्रदत्त करने अथवा बचत का समर्पण करने के लिए उचित बजट कोड प्रदान करने के लिए उ स से अनुरोध (सितंबर 2015) किया था। यद्यपि, नवंबर 2017 तक, उ स द्वारा न तो अनुमति दी गई थी और न ही समर्पण हेतु बजट कोड प्रदान किया गया।
- उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) के एक विद्युत वितरण खण्ड (धारचूला, पिथौरागढ़) को धारचूला और मुनस्यारी ब्लॉक की वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण / नवीनीकरण से संबंधित ₹ 6.90 करोड़ के दो कार्य सौपें गयें थे जिन्हें ₹ 6.26 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया था। इसी प्रकार, तवाघाट-पिथौरागढ़ में 33/11 के वी के उप-स्टेशन एवं इसकी संबंधित लाइन का कार्य स्वीकृत / जारी धनराशि ₹ 2.35 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.46 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया था। यू पी सी एल द्वारा ₹ 1.53 करोड़ की बचत उ स को वापस नहीं की गई।

  यू पी सी एल प्रबंधन द्वारा कहा गया (मार्च 2018) था कि खण्ड द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय के जनवरी 2002 के निर्देश के अनुसार 15 *प्रतिशत* पर्यवेक्षण शुल्क को शामिल किया गया था। उपर्युक्त पर्यवेक्षण शुल्क को समायोजित करने के बाद ₹ 0.16 करोड़ के शेष धनराशि को उ स को समर्पित कर दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भा स की सहायता केवल संपत्तियों के वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए थी न कि पर्यवेक्षण शुल्क के लिए। अतः ₹ 1.53 करोड़ की बचत को उ स के माध्यम से भा स को वापस किया जाना चाहिए था।
- वन विभाग में, वि आ स - पु के अंतर्गत वन मार्ग से संबंधित पाथ के पुनरोद्धार / मरम्मत कार्यों को निष्पादित करने वाले दो खंडीय कार्यालयों द्वारा ₹ 8.42 करोड़ के अनुमोदित / जारी निधि के सापेक्ष केवल ₹ 4.59 करोड़ का उपयोग किया गया और शेष धनराशि ₹ 3.83 करोड़[19] प क्रि इ के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

  विभाग ने अवगत कराया कि स्थानीय विवाद के कारण एक काम प्रारम्भ नहीं किया जा सका। तथापि, खण्ड द्वारा अप्रयुक्त धनराशि ₹ 3.83 करोड़ उ स / भा स को समर्पित नहीं किया।

[19] अपर यमुना वन प्रभाग-बड़कोट, उत्तरकाशी (₹ 3.70 करोड़) और केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य-गोपेश्वर, चमोली (₹ 0.13 करोड़)।

- कृषि विभाग में, मृदा संरक्षण गतिविधियों से संबंधित वि आ स-पु ₹ 28.21 लाख छः क्षेत्रीय कार्यालयों[20] में अव्ययित पड़ी थी। जो पूर्ण हो चुके कार्यों की बचतों से संबंधित थी।
- उ स द्वारा जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग को तीन विनिर्दिष्ट प क्रि इ अर्थात् नेहरू पर्वतारोही संस्थान, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम और लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के पुनर्स्थापना कार्यों के निष्पादन के लिए वि आ स-पु निधि से ₹ 217.48 करोड़ प्रदान किए। लेखापरीक्षा में पाया कि जि आ प्र प्रा द्वारा प क्रि इ को ₹ 199.61 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की तथा अवशेष धनराशि ₹ 17.87 करोड़ जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग के लेखों / खातों में अवरुद्ध पड़ी थी।
- तीन जि आ प्र प्रा[21] के बैंक खातों में रा आ मो नि की अव्ययित धनराशि ₹ 3.27 करोड़ वर्ष 2014-15 से लंबित थी जबकि इसे राज्य के रा आ मो नि के कोष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था।
- जि आ प्र प्रा-उत्तरकाशी द्वारा ₹ 12.17 लाख की राशि 23 महीने तक रोके रखी और बाद में (फरवरी 2016) ने इसे राज्य के रा आ मो नि कोष में स्थानांतरित करने के बजाय राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया गया।
- आठ[22] प क्रि इ द्वारा रा आ मो नि की बचत ₹ 2.64 करोड़ को संबंधित जि आ प्र प्रा को समर्पित नहीं किया गया और तीन वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वे प क्रि ई के पास पड़ी हुई थी।
- एकीकृत बाल विकास योजना (ए बा वि यो) को कार्यान्वित करने वाले पाँच जिला कार्यक्रम कार्यालयों में के पो यो-पु आंगनवाड़ी केंद्रों के मरम्मत कार्यों से संबन्धित ₹ 9.60 लाख, क्षेत्रीय कार्यालय से एक आंगनवाड़ी केन्द्र (आं के) के प्रस्ताव की प्राप्ति न होने, पाँच आं के के निर्माण का वित्तपोषण अन्य स्रोतों से होने, पाँच आं के के मरम्मत कार्यों के लिए अपर्याप्त राशि होने और एक आं के के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण अप्रयुक्त पड़ी (नवंबर 2017) थी। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2018) की अवशेष राशि समर्पित की जाएगी।
- इसी तरह, जिला चमोली के एक स्कूल प्रबंधन समिति (डुंगरी) के पास सर्व शिक्षा अभियान से संबन्धित, के पो यो-पु निधि के ₹ 18 लाख अव्ययित पड़े हुए थे। विभाग ने कहा कि भूमि विवाद के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका।

---

[20] उत्तरकाशी (₹ 8.39 लाख), कर्णप्रयाग (₹ 3.28 लाख), बागेश्वर (₹ 8.08 लाख), बड़कोट (₹ 3.50 लाख), रुद्रप्रयाग (₹ 4.80 लाख), और मोरी (₹ 0.16 लाख)।

[21] उत्तरकाशी: ₹ 1.64 करोड़, पिथौरागढ़: ₹ 0.02 करोड़ और रुद्रप्रयाग: ₹ 1.61 करोड़।

[22] लो नि वि खंड: नि ख-थराली (₹ 17.24 लाख), नि ख - उखीमठ (₹ 9.92 लाख), प्रा ख - रुद्रप्रयाग (₹ 33.80 लाख), नि ख - गोपेश्वर (₹ 29.90 लाख), सिविल खंड जि आ प्र प्रा - रुद्रप्रयाग (₹ 142.91 लाख); सिंचाई प्रभाग - बागेश्वर (₹ 18.52 लाख); जल संस्थान खंड - बागेश्वर (₹ 9.83 लाख); वि वि ख - बागेश्वर (₹ 2.05 लाख)।

2.2.6 अनुबंध प्रबंधन में कमियाँ

तीन प क्रि इ की लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न आयामों पर अनुबंध प्रबंधन में कमी पायी गयी जैसा नीचे वर्णित है:

अ- प क्रि इ - मार्ग एवं सेतु

प क्रि इ-उ आ रि प, मार्ग एवं सेतु (मा एवं से), देहरादून द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) तैयार किए जाने हेतु चार परामर्शी फर्मों व सेतु कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अन्य[23] फर्म को नियुक्त किया गया। वि प रि तैयार किए जाने के लिए एक फ़र्म[24] के साथ गठित अनुबंध (जुलाई 2014) लागत ₹ 4.60 करोड़ एकमुश्त अनुबंध था (57 नए सेतु और 59 सेतुओं की मरम्मत के लिए) जबकि सेतु पर्यवेक्षण परामर्शदायी (से प प) फर्म के साथ गठित अनुबंध (मार्च 2015) ₹ 8.47 करोड़ से प प फर्म द्वारा तैनात किए जाने वाले तकनीकी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए था। लेखा परीक्षा (अगस्त 2017) तिथि तक प क्रि इ द्वारा इन दो अनुबंधों के सापेक्ष क्रमश: ₹ 6.03 करोड़ और ₹ 10.61 करोड़ का भुगतान परामर्श फर्मों को किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार, वि प रि की एक अनन्तिम सूची परामर्शदायी को इस शर्त के साथ सौंपी गई थी कि वि प रि की अंतिम सूची आवश्यकता और स्थल की परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वि प रि की अंतिम सूची (62 नए पुलों और 12 पुलों की आवश्यक मरम्मत) अनुबंध गठन के 15 माह (अक्टूबर 2015) के बाद परामर्शदाता को सौंपी गई। तब तक परामर्शदाता द्वारा अनन्तिम सूची के आधार पर नौ सेतुओं की वि प रि तैयार कर ली गयी थी जो अंतिम सूची में शामिल नहीं थे।
- प क्रि इ द्वारा 13 वि प रि को फिर से डिजाइन[25] करने के लिए परामर्शदाता को ₹ 77.54 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया क्योंकि इनके मूल डिजाइन अनुपयुक्त पाये गए थे। अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार, सलाहकार फर्म को सेतु का डिजाइन मितव्ययता और लागत प्रभावशीलता के अलावा तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए सेतु के भागों का परिवहन की सुगमता के दृष्टिकोण से किया जाना था। इस प्रकार, वि प रि को फिर से डिजाइन करने के लिए ₹ 77.54 लाख का भुगतान अनुचित था। साथ ही 10 वि प रि की प्रूफ जाँच के लिए से प प को ₹ 27.12 लाख का भुगतान किया गया था, जिन्हे बाद में अनुपयुक्त पाया गया था।

  विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि सेतुओं के उचित/मितव्यतितापूर्ण निर्माण के लिए वि प रि को पुनः डिजाइन करने की आवश्यकता थी और इसके लिए भुगतान उ प्रा स द्वारा विधिवत

---

[23] योंगमा इंजीनियरिंग और स्टर्लिंग इंडोटेक प्रा लि (जे वी) - सेतु पर्यवेक्षण कार्य।

[24] योशिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और आई सी टी प्रा लि (जे वी) - वि प रि परामर्शदायी।

[25] झूला सेतु के स्थान पर तीन स्टील ट्रस सेतु और पैदल पुल के स्थान पर 10 मोटर पुल।

अनुमोदित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फर्म को अनुबंध की शर्तों के अनुसार तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से लाभप्रद वि प रि तैयार करने की आवश्यकता थी।

- अनुबंध कार्य के दायरे में उक्त कार्य मद शामिल होने के बावजूद वि प रि तैयार किए जाने के लिए स्थलाकृति सर्वेक्षण के लिए परामर्शदाता को ₹ 39.33 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।
- जुलाई 2015 से फरवरी 2016 के दौरान मुनस्यारी में स्थानिक अभियंता (स्था अ) तैनात करने के लिए से प प को ₹ 55.06 लाख की राशि का भुगतान किया गया था जबकि इस अवधि के दौरान उस स्थान पर कोई सेतु कार्य प्रगति पर नहीं था। विभाग ने जवाब दिया (मार्च 2018) कि इस दौरान स्था अ की सेवाओं का उपयोग रुद्रप्रयाग में एक्रो सेतु के निर्माण के लिए किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रुद्रप्रयाग में एक्रो सेतु के स्थापना कार्य को अन्य कार्यकारी एजेंसी (सिविल इकाई-जि आ प्र प्रा रुद्रप्रयाग) द्वारा किया जा रहा था और जिला रुद्रप्रयाग के उ आ रि प (मा एवं से) कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु एक पृथक स्था अ (गुप्तकाशी) के साथ निहित था।
- से प प के अनुबंध को इस तथ्य के बावजूद अनुबंध की निर्धारित समाप्ति तिथि (मार्च 2016) के बाद भी दिसंबर 2017 तक विस्तारित (जनवरी 2017) किया गया था कि इसका कार्य निष्पादन / प्रदर्शन प क्रि इ के साथ-साथ विश्व बैंक मिशन द्वारा असंतोषजनक पाया गया (अगस्त 2016)। से प प द्वारा नियुक्त मात्रा-सर्वेक्षक, किए गया कार्यों के मापों को अभिलेखबद्ध करने हेतु सक्षम नहीं पाये गए। अतैव, प क्रि इ द्वारा कार्यक्रम प्रबंधक को कार्य के लिए विभागीय इंजीनियरों की तैनाती के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत (दिसंबर 2015) किया गया। जिस पर निर्णय अगस्त 2017 तक लंबित था।

ब- प क्रि इ-नागरिक उड्डयन

प क्रि इ - नागरिक उड्डयन ने उ आ स प के अधीन ए वि बैं द्वारा वित्त पोषित 41 हैलीपैड्स और 60 बहुउद्देशीय हॉल (ब हा) / आश्रयों के निर्माण के लिए विभिन्न कार्यों / घटकों[26] हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक डिजाइन एवं पर्यवेक्षण परामर्श (डि एवं प प) फर्म[27] के साथ ₹ 7.46 करोड़ का एक अनुबंध किया (मार्च 2015)। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि डि एवं प प फर्म को अप्रैल 2017 तक सेवाओं के लिए ₹ 6.18 करोड़ (अनुबंध राशि का 83 *प्रतिशत*) का भुगतान किया गया था जबकि डि एवं प प फर्म का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

---

[26] वर्तमान उत्पादन मूल्यांकन, जाँच / आकलन और उप-परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी, डिजाइन / योजना और वि प रि की तैयारी, कार्य / वस्तुएँ / सेवाओं की अधिप्राप्ति, परियोजना प्रबंधन / निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा एवं सावधानी (सुरक्षा लेखा परीक्षा / नियामक और अनुपालन), आपदा प्रतिक्रिया और जोखिम तैयारी (संचालन, रखरखाव और प्रबंधन), और वित्तीय प्रबंधन।

[27] ए ई आर ओ सर्वे इंडिया और ई जी आई एस कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के साथ मै आई आई डी सी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम।

- अनुबंध के अनुसार, डि एवं प प फर्म सभी कार्यों के लिए डिजाइन, योजना और वि प रि तैयार किए जाने के अलावा सभी जाँचे, आंकलन और व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी थी। लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि डि एवं प प द्वारा चिन्हित किए गए 25 कार्यस्थलों पर कार्य विभिन्न तकनीकी कारणों से और अनुचित कार्य स्थल चयनित किए जाने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका या अनुबंध गठित किए जाने के बाद भी छोड़ दिया गया था।
- अनुबंध के अनुसार, डि एवं प प को 41 हेलीपैड्स और 60 ब हॉ के निविदा प्रपत्र तैयार करने और इन कार्यों के लिए निविदाओं का मूल्यांकन / निस्तारण में प क्रि इ की सहायता करना था। परंतु डि एवं प प द्वारा आवश्यक 101 के सापेक्ष मात्र 23 निविदा प्रपत्र ही तैयार किए गए थे।
- आपदा प्रतिक्रिया और जोखिम तैयारी करने के लिए डि एवं प प को हैलीपैड साइटों और ब हॉ / आश्रयों की सभी परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित क्रिया-कलाप करने की आवश्यकता थी:
  - *मानक परिचालन प्रक्रिया और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को तैयार कर प्रस्तुत करना।*
  - *आग, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा जोखिमों हेतु निकास एवं तीव्र आपदा प्रतिक्रिया योजना को तैयार करना।*
  - *आपदाकाल के दौरान परिसंचरण प्रवाह और प्रसार सहित जन-समूह प्रबंधन के लिए प्रत्येक हैलीपैड, हेलीपोर्ट और हेलीड्रोम के लिए एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करना।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि डि एवं प प द्वारा अक्टूबर 2017 तक इन क्रिया-कलापों को नहीं किया था:

- डि एवं प प को हैलीपैड्स साइटों और ब हा / आश्रयों की सभी उप-परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि डि एवं प प इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहा और प क्रि इ को पर्यवेक्षण एवं ठेकेदार द्वारा किए जा रहे निर्माण गतिविधियों में गति लाने के लिए 2016-17 में 21 संविदा अभियंता (सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता) को तैनात करना पड़ा। अक्टूबर 2017 तक इन तकनीकी कर्मचारियों को प क्रि इ द्वारा ₹ 63.82 लाख की राशि का भुगतान किया गया था जिसे डि एवं प प फर्म से वसूला जाना चाहिए।
- डि एवं प प को आपदा तैयारी (हैलीपैड और ब हॉ / आश्रयों) के अंतर्गत सृजित सुविधाओं के लिए एक वांछनीय संचालन, रखरखाव और प्रबंधन ढाँचे के लिए निम्नलिखित गतिविधियां भी करने की आवश्यकता थी:
  - *प्रत्येक उप-परियोजना स्थल के लिए संचालन, रखरखाव और प्रबंधन योजना को तैयार करना।*
  - *महानिदेशक-नागरिक उड्डयन (म ना उ) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार हैलीपैड, हेलीपोर्ट और हेलीड्रोम के लिए पृथक-पृथक व्यापक परिचालन नियमावली को तैयार करना।*

  हालांकि, अक्टूबर 2017 तक डि एवं प प द्वारा ऐसा कोई क्रिया-कलाप नहीं किया गया था।

- हैलीपैड के लिए डि एवं प प द्वारा तैयार किए गए सात वि प रि में पहुँच मार्ग का प्रावधान शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण ₹ 3.74 करोड़ के कार्यों का निष्पादन अतिरिक्त मदों के माध्यम से किया गया। डि एवं प प की इस त्रुटि का संज्ञान उच्च प्राधिकार समिति (उ प्रा स) द्वारा लिया गया था (मार्च 2017)।

निकास गोष्ठी के दौरान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग (आ प्र वि) और कार्यक्रम निदेशक-वा स प द्वारा डि एवं प प फर्म के खराब प्रदर्शन को स्वीकार किया और कहा कि फर्म को कई चेतावनी पत्र जारी किए जा चुके हैं।

स- यू जे वी एन एल

के पो यो - पु के अंतर्गत स्वीकृत दो बा सु का[28] लागत ₹ 125.52 करोड़ को सिंचाई विभाग की ओर से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) द्वारा निष्पादित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

- उ स द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी (मई 2014) किए जाने से पूर्व ही यू जे वी एन एल द्वारा दोनों कार्यों के लिए ठेके आवंटित (जनवरी और फरवरी 2014) किए गए थे। अनुमोदन के साथ निष्पादित की जाने वाली 44 कार्य-मद में से चार कार्य-मदों को हटा (इस टिप्पणी के साथ कि *'इसके प्रावधान कार्य के संबंधित कार्य मद की दर अनुसूची में शामिल हैं'*) दिया गया और कार्य की अन्य पाँच कार्य-मदों की दरों को सिंचाई विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा संशोधित किया गया। यद्यपि, निगम द्वारा कार्य का क्षेत्र और दरों को संशोधित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, ठेकेदारों को क्रमशः ₹ 2.12 करोड़ और ₹ 2.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिससे राजकोष को नुकसान हुआ।

उत्तर में, यू जे वी एन एल ने कहा (फरवरी 2018) कि ठेकेदारों को सेंटरिंग और शटरिंग (₹ 2.72 करोड़) के लिए किया गया भुगतान उनके बाद के देयकों से वसूल किया जा चुका है और कार्यों की अन्य मदों के लिए भुगतान अनुबंधो के अनुसार किया गया। इस प्रकार उ स द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने से पूर्व कार्य आवंटित किए जाने के कारण दरों को पुनरीक्षित नहीं किया जा सका। यदि निगम द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दरों के अनुमोदन के उपरांत ठेके दिये जाते तो कुल अतिरिक्त भुगतान ₹ 4.67 करोड़ को बचाया जा सकता था।

- इन दोनों कार्यों का परामर्शदायी-सेवा का कार्य एक फर्म को एकमुश्त आधार पर ₹ 1.72 करोड़ और ₹ 1.63 करोड़ में दिया गया था जिसके सापेक्ष क्रमशः ₹ 1.94 करोड़ और ₹ 1.77 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार निगम द्वारा फर्म को ₹ 36 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जवाब में, यू जे वी एन एल ने कहा (फरवरी 2018) कि कार्यों के क्षेत्र में वृद्धि के कारण फर्म को अतिरिक्त भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फर्म के साथ परामर्शदायी-सेवा का ठेका एकमुश्त आधार पर था।

[28] जोशीयाड़ा, उत्तरकाशी में मनेरी-भाली चरण-2 जल विद्युत परियोजना।

- एक सड़क के पुनर्स्थापना कार्य के लिए ₹ 1.37 करोड़ का व्यय किया गया जोकि कार्य के क्षेत्र का भाग नहीं था। जवाब में, यू जे वी एन एल ने बताया (फरवरी 2018) कि स्थानीय विधायक और जिला अधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में यह कार्य कराया गया था क्योंकि सड़क आपदा-2013 मे बह गयी थी। इस प्रकार, इस कार्य को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना निष्पादित किया गया था एवं बाद मे भी इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।

2.2.7 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

निम्नलिखित प्रकरणों में प क्रि इ द्वारा ठेकेदारों को अधिक भुगतान, आवश्यक रसीदें / बीजक प्राप्त किए बिना उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम का भुगतान, अनुबंध के नियम/शर्तों के अनुसार निर्धारित क्षति का आरोपण न किया जाना, और देयकों से श्रमिक उपकर की कटौती न कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया:

- प क्रि इ स्तर पर की गयी ठेकेदारों के देयकों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि 12 प्रकरणों (***परिशिष्ट-2.5***) में देयकों में दरों व मात्राओं की गलत गणना के कारण ठेकेदारों को ₹ 31.11 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

  निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान संबन्धित विभागों द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ प्रकरणों में वसूली की जा चुकी हैं और अन्य प्रकरणों में वसूली कर ली जाएगी। यद्यपि, संबन्धित प क्रि इ से वसूली के विवरण अभी भी (मार्च 2018) प्रतीक्षित हैं।

- उ आ स प अनुबंधों के अनुच्छेद-36.1 में यह प्रावधानित किया गया है कि यदि किसी कार्य-मद का अंतिम निष्पादन अनुबंध की मात्रा के 25 *प्रतिशत* से अधिक किया जाता है (बशर्ते कि इस तरह के परिवर्तन प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के एक *प्रतिशत* से अधिक हो) तो अभियंता द्वारा ठेकेदार को भुगतान वर्तमान बाजार दर के अनुसार संशोधित दर पर किया जाएगा।

  उ आ स प (मा एवं से) की दो प क्रि इ के तीन ठेके और प क्रि इ-नागरिक उड्डयन के एक ठेके की लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि अनुबंध के उपरोक्त नियमों एवं शर्तों (नि एवं श) को कार्य के उन मदों हेतु लागू किया जोकि ठेकेदारों को लाभप्रद थे और उन मदों के लिए नही जहाँ ठेके की वर्तमान दरें प्रचलित बाजार दरें (तत्समय लागू दर अनुसूची) से अधिक थीं क्योंकि ठेकों की वर्तमान दरें प्रचलित बाजार दरों की तुलना में अधिक थीं। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया कि लागू दर अनुसूची के आधार पर प्रचलित बाजार दरों को प्रयुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, ***परिशिष्ट-2.6*** में दिए गए विवरणों के अनुसार ₹ 1.24 करोड़ के वा स प निधि की बचत होती। इस प्रकार, अनुबंधों के नि एवं श के अनुसार प क्रि इ द्वारा विचलन के भुगतान को विनियमित न किए जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 1.24 करोड़ का संभावित अनुचित लाभ मिला जिस पर विभागीय जाँच की आवश्यकता है।

- उ आ स प और उ आ रि प के अधीन मार्ग एवं सेतु कार्यों के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रावधान यह निर्धारित[29] करते है कि ठेकेदार बिना शर्त बैंक गारंटी जमा करने और क्रय बीजकों की प्रतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर अनुबंध राशि के 10 *प्रतिशत* तक ब्याज मुक्त मोबिलिज़ेशन अग्रिम (मो अ) प्राप्त करने का हकदार होगा। ठेकेदार द्वारा मो अ का उपयोग कार्य निष्पादन के लिए केवल उपकरण, संयंत्र और मोबिलिज़ेशन खर्चों के भुगतान के लिए करना था।

  उ आ स प और उ आ रि प (मा एवं से) के राज्य स्तरीय प क्रि इ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि उ आ स प अनुबंधों के 64 प्रकरणों में मो अ ₹ 54.24 करोड़ और उ आ रि प अनुबंधों के 56 प्रकरणों में ₹ 36.28 करोड़, बैंक गारंटी के सापेक्ष क्रय बीजकों की प्रतियाँ प्राप्त किए बिना ही ठेकेदारों को दिए गए।

  निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय पर अनुबंध विवरण मौन है इसलिए केवल बैंक गारंटी के सापेक्ष अग्रिम दिया गया था। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि ए वि बैं और विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए मानक निविदा अभिलेखानुसार मो अ बैंक गारंटी के सापेक्ष क्रय बीजकों के प्रस्तुति के उपरांत ही ठेकेदार को दिये जाने चाहिए। अतः इस शर्त को अनुबंध के नियमों और शर्तों में शामिल न किया जाना अविवेकपूर्ण था। इस प्रकार, क्रय बीजकों की प्रस्तुति के बिना ही ठेकेदारों को ₹ 90.52 करोड़ की अग्रिम राशि प्रदान किया जाना न केवल अनुबंधों के प्रावधानों के विरुद्ध था बल्कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ भी प्रदान किया गया।

- **नीचे उल्लेखित प्रकरणों में, संबंधित प क्रि इ / खंडो द्वारा ठेकेदार से कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट दर से लिक्विडटेड डैमेज (एल डी) आरोपित / वसूल नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 4.25 करोड़ (*परिशिष्ट-2.7*) का अनुचित लाभ हुआ:**
  - उ आ स प (अनुच्छेद-46.1) और उ आ रि प (अनुच्छेद-44.1) के अंतर्गत अनुबंध की सामान्य शर्त (अ की सा श) यह निर्धारित करती है कि कार्य में प्रतिदिन विलंब के लिए ठेकेदार प्रारम्भिक अनुबंध राशि पर 0.5 *प्रतिशत* की दर से, अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक एल डी के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। यद्यपि, उ आ स प (मा एवं से) और उ आ रि प (मा एवं से) के 10 कार्यों में ₹ 1.74 करोड़ की एल डी नहीं लगाई गई थी जो या तो विलंब से पूर्ण हुए अथवा विलंब के साथ प्रगतिशील थे।
  - बा सु का (के पो यो - पु) को क्रियान्यावन करने वाले सिंचाई विभाग के दो खंडों द्वारा तीन प्रकरणों में कोई एल डी नहीं लगाई थी तथा एक प्रकरण में कम दर से एल डी लगाई गयी जबकि कार्य 211 और 544 दिनों के विलंब से पूर्ण किया गया । अनुबंध के नियमों और शर्तों (आई डी फॉर्म-11 के अनुच्छेद-2) के अनुसार ठेकेदार अधिकतम एल डी ₹ 2.47 करोड़

[29] उ आ स प अनुबंधों के अनुच्छेद-48 और उ आ रि प अनुबंधों के अनुच्छेद-45।

(प्रारंभिक अनुबंध राशि का 10 *प्रतिशत*) के लिए उत्तरदायी थे, जिसके सापेक्ष मात्र ₹ दो लाख आरोपित / वसूल किया गया। इस प्रकार ₹ 2.45 करोड़ कम एल डी वसूल की गयी।

- एक विद्युत वितरण खंड (यू पी सी एल बागेश्वर) द्वारा एक वि आ स - पु कार्य के निर्माण में दो वर्षों से अधिक विलंब होने पर ₹ 15.80 लाख की एल डी लगायी जबकि अनुबंध के नि एवं श के अनुसार अधिकतम एल डी ₹ 21.54 लाख आरोपित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार ₹ 5.74 लाख एल डी की कम वसूली हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, विभाग / प क्रि इ द्वारा लेखा परीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि कुछ प्रकरणों में वसूली प्रभावी हो गयी है और शेष प्रकरणों में वसूली कर ली जाएगी। वसूली के विवरण प्रतीक्षित थे (मार्च 2018)।

- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (मई 2012) के अनुसार अनुमानित लागत ₹ 10 लाख व उससे अधिक लागत के प्रत्येक कार्य पर एक *प्रतिशत* की दर से श्रमिक उपकर आरोपित कर स्रोत पर कटौती[30] (प्रत्येक ठेकेदार के बिल से) की जानी होती है।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि दो प क्रि इ (गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) के 31 प्रकरणों में ठेकेदारों के देयकों से ₹ 16.46 लाख की श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की गयी, फलतः ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

सार रूप में, इन प क्रि इ द्वारा ठेकेदारों को ₹ 5.96 करोड़[31] का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

2.2.8 ब्याज देनदारियों का सृजन

उ आ स प के अधीन 200 मिलियन यू एस $ (मई 2017 में 185 मिलियन यू एस $ पुनरीक्षित किया गया) के लिए ए वि बै के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध का प्रावधान[32] (05 फरवरी 2014) निर्धारित करता है कि ऋण का उपभोग मार्च 2017 तक किया जाना था और आहरित न किए गए ऋण राशि पर उ स 0.15 *प्रतिशत* की वार्षिक दर से प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। ऋण अनुबंध के अनुसार प्रतिबद्धता शुल्क आहरण की निर्धारित तिथि से 60 दिनों की छूट / रियायत अवधि के उपरांत समय-समय पर कम आहरित राशि पर देय थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ स द्वारा मार्च 2017 तक मात्र 122.75 मिलियन यू एस $ (₹ 736.50 करोड़) का उपयोग किया और कार्यों की धीमी प्रगति व व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों को जमा न किए जाने के कारण 62.25 मिलियन यू एस $ (₹ 373.50 करोड़) का उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, उ स अप्रैल 2017 से 26 फरवरी 2018 (दावे की अंतिम तिथि) तक की अवधि के लिए ए वि बैं को 0.040 मिलियन यू एस $ (₹ 24.04 लाख) के प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

---

30 स्रोत पर कटौती किए गए उपकर को राज्य के श्रम आयुक्त को प्रेषित किया जाना था।

31 ठेकेदारों को भुगतान किए गए मोबिलाइजेसन अग्रिम के प्रकरणों को छोड़कर।

32 ऋण अनुबंध के अनुच्छेद-I की धारा 1.01 और अनुच्छेद-II के की धारा 2.03।

सचिव, आ प्र वि और परियोजना निदेशक-वा स प ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (मार्च 2018) कि ऋण राशि का उपयोग समय-सीमा के अनुसार नही किया जा सका क्योकि कार्यों के छोड़े जाने / निष्पादन में विलंब और राज्य में कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ विनिमय दर में बारबार परिवर्तन कुछ ऋण राशि के उपयोग न होने का एक अन्य कारण भी था।

इसके अलावा, वि आ स-पु के लिए भा स की स्वीकृतियों में प्रावधानित था कि उ स को प्रदान की गयी निधियाँ प क्रि अ को बिना किसी विलम्ब के अवमुक्त की जायेगी और मार्च 2017 तक उपयोग की जायेगी, ऐसा न करने पर, धनराशि चूक की अवधि के ब्याज के साथ भा स को वापस किया जाना था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि वित्तीय स्वीकृतियों को जारी न किए जाने और प क्रि अ द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण मार्च 2017 के अंत में राज्य सरकार के पास वि आ स-पु की धनराशि ₹ 274.29 करोड़ अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इस प्रकार उ स द्वारा अप्रयुक्त राशि भा स को वापस करने में विफल रहने के कारण अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक 7.16 *प्रतिशत*[33] की वार्षिक दर से ₹ 19.64 करोड़ की ब्याज देयता सृजित की गयी। ₹ 274.29 करोड़ की यह अप्रयुक्त राशि उन निधियों के अतिरिक्त है जो प क्रि अ के पास अव्ययित/अप्रयुक्त थी और समर्पण नहीं की गयी (जैसा *प्रस्तर-2.2.5* में वर्णित है)।

2.2.9 ब्याज प्राप्तियों का गलत प्रयोग

नीचे उल्लिखित प्रकरणों में, म और दी पु निधियों पर प्राप्त ब्याज प्राप्तियों का प्रयोग निर्धारित मानदंडों / नियमों के अनुसार नहीं था:

- सरकारी लेखाकरण नियम-31 (ई) यह निर्धारित करता है कि पूंजीगत परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अर्जित किसी भी प्राप्ति का उपयोग पूंजीगत व्यय में कमी करके किया जाना चाहिए और इसे सरकार या उपक्रम के राजस्व खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 11 प क्रि इ की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि उ आ स प / उ आ रि प के बैंक खातों पर अर्जित ब्याज ₹ 6.47 करोड़[34] की राशि राज्य सरकार के कोषागार लेखा शीर्ष-0049 में जमा की गई, जबकि कार्यों की प्रकृति पूंजीगत थी और वाह्य सहायतित परियोजना निधि से निष्पादित किये जा रहे थे। राज्य सरकार द्वारा उत्तर (मार्च 2018) दिया गया कि वा स प पर अर्जित ब्याज राज्य सरकार से संबन्धित है क्योंकि राज्य द्वारा कार्यों के लिए व्यय पहले अपने स्वंय के संसाधनों से किया जाता है जिसे बाद में ए वि बैं / विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन ब्याज प्राप्तियों का प्रयोग निर्धारित लेखांकन नियमों के अनुसार नहीं था।

---

[33] भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्र सरकार के वर्ष 2016-17 के दिनांकित प्रतिभूति का भारित औसत प्राप्ति।

[34] उ आ स प - का क्रि ई:नागरिक उड्डयन (₹ 19.59 लाख), मार्ग एवं सेतु (₹ 114.08 लाख), पर्यटन-ग मं वि नि (₹ 32.08 लाख) और कु मं वि नि (₹ 19.94 लाख), जल आपूर्ति-उ ज सं (₹ 59.52 लाख), और का प्र ई (₹ 199.22 लाख) और उ आ रि प-का क्रि ई मार्ग एवं सेतु (₹ 1.07 लाख), आ जो प्र त स और क्ष वि (₹ 40.49 लाख), सार्वजनिक भवन (₹ 26.11 लाख), रिहायशी आवास (₹ 49.59 लाख), और का प्र ई (₹ 85.32 लाख)।

- समेकित बाल विकास योजना (स बा वि यो) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि वि आ स-पु कार्यों के बैंक खाते में अर्जित ब्याज ₹ 28.95 लाख की धनराशि राज्य सरकार के कोषागार शीर्ष-0049 में जमा की गई जबकि योजना का शत-प्रतिशत वित्तपोषण भा स द्वारा किया गया था।
- यू जे वी एन एल द्वारा ठेकेदारों को दिये गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 2.52 करोड़ (₹ 161.04 लाख और ₹ 90.98 लाख) को न तो राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया और न ही स्वीकृति के सापेक्ष बाद की अवमुक्त राशियों से समायोजित करवाया गया। यू जे वी एन एल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2018) कि निगम ने कार्यों की प्रगति को बनाए रखने के लिए परियोजनाओं में अपने धन का भी निवेश किया क्योंकि उ स द्वारा स्वीकृत निधि समय से प्रदान नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के लिए संपूर्ण निधियाँ यू जे वी एन एल द्वारा अपने स्रोत से वहन नहीं की गयी थी; अतैव, सरकारी वित्तपोषण के ब्याज राशि का उपयोग परियोजनाओं की पूंजी लागत में कमी करने के लिए किया जाना चाहिए था।

2.2.10 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को बढ़ाकर प्रस्तुत करना

प क्रि अ / कार्यालय को कार्य पूर्ण / धन व्यय किए जाने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ प्र प) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प क्रि अ ने निम्नलिखित प्रकरणों में बढ़े हुए / स्फीतिय उ प्र प प्रस्तुत किए गए थे:

- जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग द्वारा वि आ स-पु निधि के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सिविल इकाई (लो नि वि), गुप्तकाशी को मार्च 2017 तक ₹ 23.59 करोड़ जारी किए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 तक किए गए कार्यों का वास्तविक व्यय मात्र ₹ 14.62 करोड़ था लेकिन अभिकरण द्वारा उ स / भा स को अग्रसारित किए जाने हेतु जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग को ₹ 20.66 करोड़ रुपये के उ प्र प जारी (नवम्बर 2016) किए।
- जि आ प्र प्रा, रुद्रप्रयाग के लिए काम कर रहे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के लिए भवनों के पुनर्निर्माण के कार्य हेतु ₹ 24.50 करोड़ का उ प्र प प्रस्तुत (नवंबर 2016) किया गया जबकि सितंबर 2017 तक वास्तविक व्यय ₹ 12.86 करोड़ था।
- उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) ने उ स को ₹ 11.94 करोड़ का उ प्र प प्रस्तुत (मई 2016) किया गया जबकि अक्टूबर 2017 तक वास्तविक व्यय मात्र ₹ 5.66 करोड़ था।
- कृषि विभाग में, दो क्षेत्रीय कार्यालय (बागेश्वर और मोरी) द्वारा ₹ 1.31 करोड़ का उ प्र प जारी किया जबकि मार्च 2017 तक वास्तविक व्यय मात्र ₹ 0.80 करोड़ था।
- उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) के चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकृत कार्यों के निष्पादन के बिना ही, उ स को अग्रसारित करने के लिए यू पी सी एल को

₹ 3.23 करोड़[35] (अक्टूबर 2016) के उ प्र प प्रस्तुत किए गए। चार खंडो में से, तीन खंडो ने कहा कि वि आ स-पु की राशि ₹ 3.03 करोड़ सरकार को वापस कर दी जाएगी। यद्यपि, धारचूला खंड ने कहा कि उसके द्वारा सरकार से किसी भी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल अपने आंतरिक संसाधनों से ₹ 63.98 लाख का आपदा कार्य किया गया इसलिए उपरोक्त राशि को समायोजित करने के बाद शेष राशि ₹ 19.67 लाख कॉर्पोरेट कार्यालय के अनुमोदन के बाद समर्पित की जाएगी।

[35] वि वि ख-धरचूला (₹ 19.67 लाख), वि वि ख-नारायणबगड़ (₹ 50 लाख), वि वि ख-गोपेश्वर (₹ 70 लाख), वि वि ख-रूद्रप्रयाग (₹ 183.46 लाख)।